भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1009

जिसका उत्तर 05.02.2026 को दिया जाना है

सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि

1009. श्री कल्याण बनर्जी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजमार्गों, जिनमें भारत के सड़क नेटवर्क का लगभग 2 प्रतिशत शामिल है, पर कुल सड़क दुर्घटनाओं की लगभग 30 से 34 प्रतिशत दुर्घटनाएं होती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सड़क दुर्घटनाएं मौतों और नि:शक्तता के मामले में भारत के स्वास्थ्य बोझ में 11वां सबसे बड़ी योगदानकर्ता बन गई हैं और यह संख्या वर्ष 2010 में 11 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024 में 17 प्रतिशत हो गई है; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रॉमा ओ पी डी केन्द्रों की स्थापना की वर्तमान स्थिति और भावी योजना क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) वर्ष 2025 (2.2.2026 तक) के लिए इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या देश की सभी सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की कुल संख्या का 33.27% है।

(ख) भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा प्रकाशित मृत्यु के कारणों के चिकित्सा प्रमाणन 2023 पर रिपोर्ट के अनुसार, कुल मौतों की संख्या 19,00,956 है। रुग्णता और मृत्यु दर के बाह्य कारणों के चलते चिकित्सकीय रूप से 68,311 प्रमाणित मौतें हुईं, जिनमें से मोटर वाहन यातायात दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या 12,319 थी।

(ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "ट्रॉमा और बर्न चोटों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम" (एनपीपीएमटी एंड बीआई) के तहत, देश भर के सरकारी अस्पतालों/मेडिकल कॉलेजों में कुल 196 ट्रॉमा केयर फैसिलिटीज (टीसीएफ) स्वीकृत की गई थीं।

*****